# HAPUR POLICE

## प्रेसनोट- थाना बहादुरगढ़

दिनांक 05.02.2025 को थाना बहादुरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत 02 कारों में कुछ युवकों/बच्चों का हुडदंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त युवक को मय कार गिरफ्तार कर लिया गया है, कार को एम वी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी कार स्विफ्ट रजि0 नं0 DL 9CL 8927 का 10,000/- रुपये का चालान किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-** कासिम पुत्र अनवार निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।

**बरामदगी का विवरण-** घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार रजि0 नं0- DL 3CBS 2822 सीजशुदा अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट।

BEFORE

AFTER

उत्तर प्रदेश पुलिस - यातायात निदेशालय
नोटिस
(अन्तर्गत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम 1988)

सेवा में,
BHUPENDRA SINGH

NO IMAGE AVAILABLE
NO IMAGE AVAILABLE

वाहन संख्या: DL9CL8297
वाहन अवधि: .....
वाहन श्रेणी: Select Vehicle Class
वाहन पंजीकरण की वैधता अवधि: .....
वाहन स्वामी का मोबाइल: 7060151546
इंजन संख्या: .....
चेसिस संख्या: .....
वाहन स्वामी का नाम: BHUPENDRA SINGH
वाहन स्वामी के पिता का नाम: TEJ SINGH
वाहन स्वामी का पता: K-112, SHAIKH SARAI, PHASE-II, South-110017

यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण

चालान संख्या: UP27609250207132601

| तिथि / समय | स्थान | उल्लंघन का विवरण | शमन शुल्क (रु.) |
|---|---|---|---|
| 07-02-2025 13:26:01 | Opp Police Station Dehra, Kuti, Dahra, Uttar Pradesh 245205, India | 1: Without written permission of State Government racing and trials of speed in any public place ( MV Act 1988, 189 ) | 10000/- |

उपलब्ध अभिलेखों में उक्त वाहन का स्वामित्व आपको प्रदर्शित है। अतःएव इस नोटिस के माध्यम से वाहन द्वारा किये गए यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण मय साक्ष्य इस आशय से प्रेषित है कि यातायात नियमों के उल्लंघन सम्बन्धित आदेशों की स्वीकारोक्ति की दशा में निर्धारित शमन प्रक्रिया का अनुसरण कर 3 दिन के अन्दर शमन कराये। अन्यथा प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

शमन शुल्क का भुगतान आप इन माध्यमों द्वारा कर सकते हैं -
1 ऑनलाइन: https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan
2 स्थानीय भुगतान केन्द्र: SP/CO Traffic Police, HAPUR

सीजन्य से,
प्रभारी, यातायात प्रवर्तन केन्द्र
जिला :HAPUR

**हापुड़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने वाहन का प्रयोग यातायात के नियमों के अनुरूप ही करें तथा अपनी एवं किसी अन्य की जान जोखिम में न डालें, यदि आप यातायात नियमों का पालन नही करते हैं तो आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।**